Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Land Dispute Apeal Case No.- 19 /2024]

Geeta Devi.....Appellant

Versus

State. .....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	20.8.2025	यह भूमि विवाद अपील माननीय उच्च न्यायालय, पटना के रिट याचिका सं0-13850/2023 में दिनांक-21.12.2023 को पारित आदेश के आलोक में न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, निर्मली द्वारा वाद संख्या-03/2017-18 में दिनांक-22.2.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत जमीन की विवरणी निम्नानुसार है :-	

मौजा	खाता (पुराना/नया)	खेसरा (पुराना/नया)	रकवा
निर्मली	291/178	647/86	17 धूर

दिनांक-08.8.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का अभिकथन Reply/Rejoinder में अंकित है।

अपीलार्थी का कहना है कि विवादित जमीन मौजा निर्मली खाता-291 (पु0)/178 (नया), खेसरा-647 (पु0)/86 (नया), रकवा-0-0-17 धुर उन्हें भू-दान यज्ञ समिति से प्रमाण-पत्र संख्या-795016 वर्ष-2014 द्वारा प्राप्त है। तथा उनका दखल कब्जा है। उक्त भूमि का लगान निर्धारण वाद सं0-10/2015-16 द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, निर्मली द्वारा लगान निर्धारण कर जमाबन्दी संख्या-6928 (भू-दान) कायम किया गया। तथा लगान रसीद निर्गत होने लगा। अपीलार्थी को भू-दान से प्राप्त जमीन से विपक्षी सं0-03 कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत निर्मली द्वारा बेदखल करने का प्रयास करते हुए उक्त भूमि पर टीन का शेड बना दिया गया है। उनका कहना है कि निम्न न्यायालय के स्तर से संगत तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए आदेश पारित किया गया है। जो खारिज करने योग्य है।

अंचल अधिकारी, निर्मली के पत्रांक-983 दिनांक-6.8.2025 से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि कैडेस्ट्रल सर्वे (सी0एस0) खतियान में गैर मजरूआ खास खाते की भूमि है। प्रश्नगत भूमि पर आवेदिका का दखल कब्जा नहीं है। म्युनिसिपल सर्वे खतियान में उक्त भूमि चिकित्सा विभाग, बिहार सरकार के नाम से दर्ज है। एवं वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर नगर पंचायत, निर्मली के द्वारा शेड में ट्रैक्टर एवं कचरा उठाने की गाड़ियाँ इत्यादि रखा हुआ है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-970(7)/रा0 दिनांक-23.8.2016 में "जमींदारी उन्मूलन के पश्चात गैरमजरूआ खास भूमि यदि भूदान यज्ञ समिति अथवा विनोवा भावे के द्वारा दान किया जाता है तो ऐसे दान पत्रों की वैधानिकता नहीं होगी क्योंकि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात खास भूमि सरकार में निहित है।" कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, निर्मली के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भूमि पर वर्ष 2001-02 में सम विकास योजना अन्तर्गत शेड -सह- स्टोर निर्मित है। उक्त जमीन नगर पंचायत, निर्मली को कार्यालय एवं प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु जिला परिषद, सुपौल से प्राप्त है। उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी काफी समृद्ध हैं तथा निर्मली नगर पंचायत वार्ड नंबर-03 में इनका बहुत बड़ा व्यवसाय संचालित है। तथा यह कि इनके द्वारा गलत ढंग से भूदान पर्चा प्राप्त किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder, अंचल अधिकारी, निर्मली के प्रतिवेदन आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत जमीन सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास सरकारी भूमि है। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात सरकारी जमीन गैरमजरूआ खास का भूदान पर्चा निर्गत किया जाना वैधानिक नहीं है। सुनवाई में अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त कानूनी बिन्दु तथा विपक्षी विभागीय पदाधिकारी के अभिकथन को Negate करने हेतु कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं

किया जा सका है।

निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Finding के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। अतः तदनुसार इस अपील वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

20/8/25.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।

20/8/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।